उपस्थित वकील स्वयं द्वारा अगली तारीख
हड़ताल के कारण आज तारीख बढ़ते है
नियत दिनांक .....
को वास्ते .... पेश है।

पीठासीन
उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

18/9/18

उपरोक्त प्रार्थिगण अधिवक्ता
की ओर से इस आवेदन पत्र
में उत्तर दाखिल नहीं किया गया है
अतः प्रार्थिगण की ओर से
आवेदन पत्र खारिज की जाने
की कार्यवाही उचित नहीं है
अतः आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है
पक्षकारों को अपना बोर्ड खर्चा वहन करेंगे।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Vinod

Identify by
वकील